150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–::आदेश::–

शिविरा पंचांग वर्ष : 2019–20 में प्रदत्त निर्देशानुसार राज्य की समस्त शिक्षण संस्थाएं (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर) लॉकडाउन के उपरान्त दिनांक : 24.06.2020 से विद्यालय स्टाफ हेतु खोली जा चुकी है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमांक : प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर, दिनांक : 30.06.2020 द्वारा राजस्थान राज्य हेतु अनलॉक–2 (1 जुलाई से 31 जुलाई, 2020) के क्रियान्वन आदेशान्तर्गत सभी विद्यालय/ महाविद्यालय/शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 जुलाई, 2020 तक वन्द रखे जाने बाबत् निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त शासकीय निर्देशों के अनुसरण में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर) हेतु एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

- समस्त शिक्षण संस्थाओं में 31 जुलाई, 2020 तक समस्त कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु कक्षा शिक्षण संबंधी विद्यालयीन गतिविधियां बन्द रहेगी। विद्यार्थियों हेतु स्वयं से संबंधित प्रवेश, टी.सी, कक्षोन्नति प्रमाण–पत्र एवं अंक तालिका प्राप्त करने जैसे आवश्यक कार्यों के अलावा विद्यालय आवागमन निषेध रहेगा।
- उक्त अवधि में विद्यालय के समस्त कार्मिक कार्यदिवसों में विद्यालय संचालन समय के दौरान विद्यालय में उपस्थित रहेंगे एवं इस दौरान विद्यालय से संबंधित विभिन्न आवश्यक कार्य संपादन के साथ–साथ लंबित कार्यों का निष्पादन भी सुनिश्चित करेंगे। इस सम्बन्ध में विभिन्न करणीय कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा–स/22473/मिड–डे–मील/2018 दिनांक : 19.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुरूप कोविड–19 के कारण विद्यालय बंद रहने तथा ग्रीष्मावकाश की अवधि के दौरान का खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) कक्षा– 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को वितरित किया जाना सुनिश्चित करना तथा उक्तानुरूप स्टॉक रजिस्टर का मिलान एवं अद्यतन संधारण।
2. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा–स/पर्यावरण/2017/91 दिनांक : 25.06.2020 में प्रदत्त निर्देशानुरूप समस्त विद्यालयों में "पर्यावरण संरक्षण कार्य योजना" निर्माण तथा वर्षाऋतु के आगमन को देखते हुए विद्यालय में वृक्षारोपण कार्य।
3. विद्यालय में समन्वित/समीपवर्ती/कैचमेंट एरिया में स्थित आंगनबाड़ियों से संपर्क कर कक्षा–1 में प्रवेश योग्य विद्यार्थियों के नव–प्रवेश तथा विगत वर्ष विभिन्न कक्षाओं में ड्रॉप आउट विद्यार्थियों का विद्यालय में पुनर्नामांकन विद्यालय में सुनिश्चित किए जाने हेतु दिनांक : 01 से 15 जुलाई, 2020 की अवधि के दौरान प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विद्यालय के समस्त शिक्षकों द्वारा कैचमेंट एरिया में विद्यालय प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों का विद्यालय में आयु के अनुरूप प्रवेश सुनिश्चित करवाया जाएगा।
4. इस कार्यालय के निर्देश पत्रांक : शिविरा–मा/माध्य/शालादर्पण/60304(2)/2016–17/198 दिनांक : 22.06.2020 द्वारा विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर विभिन्न मॉड्यूल्स में वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि के संबंध में शाला दर्पण प्रभारी के साथ अन्य कार्मिकों/शिक्षकों के दायित्व निर्धारित किए गए हैं। उक्त निर्देशानुरूप संस्था प्रधान द्वारा संबंधित प्रभारी गण एवं शाला दर्पण प्रभारी के मार्फत् विभिन्न प्रपत्रों तथा मॉड्यूल्स में विद्यालय से संबंधित प्रविष्टियों की अद्यतन पूर्ति का कार्य उक्त अवधि के दौरान संपन्न करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
5. इस दौरान ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा एवं पूर्व से संचालित स्माईल प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, हवा महल कार्यक्रमों के अंतर्गत समस्त प्रकार की ऑनलाईन शिक्षण गतिविधियां पूर्ववत् संचालित रहेगी।

Scanned with CamScanner

6. इस अवधि में विद्यालय में सत्र : 2019–20 के दौरान अध्ययनरत रहे कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र तथा कक्षा 9 एवं 11 के विद्यार्थियों को कक्षोन्नति प्रमाण पत्र के साथ अंक तालिका का वितरण आवश्यक रूप से कर दिया जाए।
7. इस अवधि में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु नामित समस्त शिक्षकों को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करते हुए प्रशिक्षण में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
8. उक्त अवधि में बोर्ड परीक्षा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन संबंधी समस्त कार्यों में संबंधित संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम समय पर घोषित किए जा सकें।
9. विगत सत्र में किए गए भुगतानों से संबंधित आहरण एवं वितरण रजिस्टर का ऑनलाईन बिलों से मिलान एवं पै–पोरटिंग रजिस्टर में इन्द्राज की कार्यवाही का सत्यापन।
10. विद्यालय के समस्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिकाओं का अद्यतन संधारण एवं लंबित सेवा संबंधी प्रकरणों के निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
11. विद्यालय योजना निर्माण तथा उसकी समीक्षा।
12. विद्यालय की विभिन्न रोकड़ पुस्तिकाओं (यथा– राजकीय रोकड़
13. /विद्यार्थी कोष/एसडीएमसी/ एसएमसी) के रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन।
14. विद्यालय के लंबित अंकेक्षण आक्षेपों की पालना एवं पूर्ति की सुनिश्चितता।
15. विद्यार्थियों से संबंधित एस.आर. रजिस्टर का अद्यतन संधारण।

उपर्युक्त निर्देशों की समस्त संबंधितों द्वारा अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/विविध दिवस/2018/236 दिनांक :– 30.06.2020

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
6. प्रधानाचार्य, सार्दुल स्पोट्‌र्स स्कूल बीकानेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
12. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान को निर्देशों की पालना एवं क्रियान्विति हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
13. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Scanned with CamScanner